मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. 884/2022 संजीव कुमार बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं अन्य में स्टेटस रिपोर्ट।

913

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद विकसित की जा रही है। उक्त योजना का कुल क्षेत्रफल 703.72 एकड़ है। योजना कुल 10 सेक्टरों में विभाजित है, जिसका सेक्टवार नियोजन समय–समय पर करते हुए विकसित किये जा रहे है। योजना में कुछ सेक्टर्स अभी अनियोजित हैं, जिसके नियोजन की कार्यवाही की जा रही है। योजना में परिषद द्वारा स्वयं विभिन्न परियोजनाएं विकसित की गयी हैं तथा ग्रुप हाउसिंग एवं बल्कसेल भूखण्ड नियोजित करते हुए निजी विकासकर्ता को आवंटित किये गये हैं, जिस पर उनके द्वारा परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। उक्त के अतिरिक्त समितियों द्वारा भी विभिन्न परियोजनाएं सिद्धार्थ विहार योजना में विकसित की जा रही है। परिषद द्वारा विकसित परियोजनाएं निम्नलिखित है :–

1. ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव, सेक्टर–10
2. ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव, सेक्टर–7
3. सेक्टर–9 में 1984 नग ई0डब्लू0एस0 भवन(गोकुलधाम, वृन्दावन एन्कलेव)
4. गंगा यमुना एवं हिण्डन अपार्टमेन्ट

प्रश्नगत समस्त परियोजनाओं में परिषद द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार निर्माण कार्य तथा विकास कार्य यथा सड़कें, नालियाँ, पार्क/ग्रीन, सीवर लाईन, जलापूर्ति आदि का कार्य कराया जा चुका है। परिषद द्वारा सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में किये गये/किये जा रहे विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :–

1. <u>ग्रीन बैल्ट/ग्रीन एरिया एवं पार्कों का विकास कार्य</u> :–

परिषद द्वारा सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में तद्दिनांक तक निम्नलिखित ग्रीन बेल्ट/ग्रीन एरिया एवं पार्क विकसित किये जा चुके हैं।

1. सेक्टर–7 में 02 नग पार्क, 01 नग ग्रीन बैल्ट, ब्रहमपुत्र एन्क्लेव में 01 नग ग्रीन एरिया तथा गंगा, यमुना, एवं हिण्डन अपार्टमेन्ट में 01 नग सेन्ट्रल पार्क।
2. सेक्टर–9 में 1984 नग ई0डब्लू0एस0 भवनों (गोकुलधाम/वृन्दावन एन्क्लेव) के क्षेत्र में 03 नग पार्क तथा सामुदायिक केन्द्र में 01 नग पार्क/ग्रीन एरिया।
3. सेक्टर–10 में ब्रहमपुत्र एन्क्लेव के अन्तर्गत 02 नग पार्क एवं 01 नग ग्रीन एरिया।
4. उक्त के अतिरिक्त ले–आउट प्लान में नियोजित ग्रीन बैल्ट, सेन्ट्रल वर्ज, एवं सड़कों के किनारे भी वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त के अतिरिक्त योजना में अन्य ग्रीन बैल्ट एवं पार्कों के नियोजन/विकास की कार्यवाही की जा रही है। योजना के सेक्टर–5 में नियोजित 26.044 एकड़ पार्क तथा 20.5338 एकड़ मास्टर प्लान जोनल पार्क को विकसित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

(**संलग्नकः–1** योजना में निर्मित ग्रीन बैल्ट, ग्रीन एरिया एवं पार्क के फोटोग्राफ)

2. <u>ट्रंक सीवर लाईनें एवं एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य</u> :–

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में ट्रंक सीवर लाईन सक्षम स्तर से स्वीकृत परिकल्पना के अनुसार बिछायी जा चुकी है। सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्वीकृत परियोजना के अनुसार 43.00 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित एस0टी0पी0 के क्रम में प्रथम चरण में अनुबन्ध संख्या–01/एस0ई0 गाजि0वृत्त/2021–22 दिनांक 09.07.2021 के अन्तर्गत 21.5 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य परिषद द्वारा कराया जा रहा है। अनुबन्ध के अनुसार उक्त कार्य को प्रारम्भ करने की दिनांक 09.07.2021 एवं कार्य पूर्ण करने की दिनांक 08.07.2023 निर्धारित है। एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य माह जुलाई–2023 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य पूर्ण होने तक परिषद परियोजनाओं में उत्पन्न हो रहे सीवरेज को बायो–रेमिडिएशन पद्धति से शुद्धीकरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(**संलग्नकः–2** योजना में एस0टी0पी0 निर्माण के फोटोग्राफ)

3. **योजना में सड़कों का निर्माण कार्य :–**

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद की अधिकांश ट्रंक सड़कें पूर्व से ही निर्मित हैं। परिषद द्वारा सड़कों के गढ्डामुक्ति/सुदृढ़ीकरण का कार्य भी समय–समय पर कराया जाता है। योजना में एल0एन0टी0 चौराहे से एन0एच0–24 की तरफ निर्मित 50.00 मी0 चौड़ी सड़क वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। उक्त सड़क के सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या–04/एस0ई0/सर्किल गाजि0/2022–23 दिनांक 22.02.2023 के अन्तर्गत सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य परिषद द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण करा लिया गया है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ हाने का दिनांक 22.02.2023 एवं कार्य पूर्ण करने का दिनांक 21.05.2023 निर्धारित है। प्रदूषण की रोकथाम हेतु सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद की सड़कों पर नियमित रूप से रोस्टरवार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।

4. **योजना में ट्रंक ड्रेन का निर्माण कार्य :–**

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में ट्रंक ड्रेन का कार्य परिषद द्वारा पूर्व में कराया गया था। योजना में चल रहे निर्माण/विकास कार्यों के कारण प्रश्नगत ड्रेन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिनके सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यवाही परिषद द्वारा की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित परियोजनाओं में उत्पन्न हो रहे सीवरेज के शुद्धीकरण हेतु एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नियोजित पार्क/ग्रीन एरिया को विकसित किये जाने का दायित्व विकासकर्ता का है। अवगत कराना है कि सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में निर्मित मा0 कांशीराम आवासीय योजना नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरित है तथा उक्त योजना के रख–रखाव का कार्य नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा किया जा रहा है। मा0 कांशीराम आवासीय योजना में उत्पन्न हो रहे सीवरेज के शुद्धीकरण की कार्यवाही गाजियाबाद नगर निगम द्वारा की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड गाजियाबाद–01/02

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड गाजियाबाद–03

संलग्नक :- 1 915

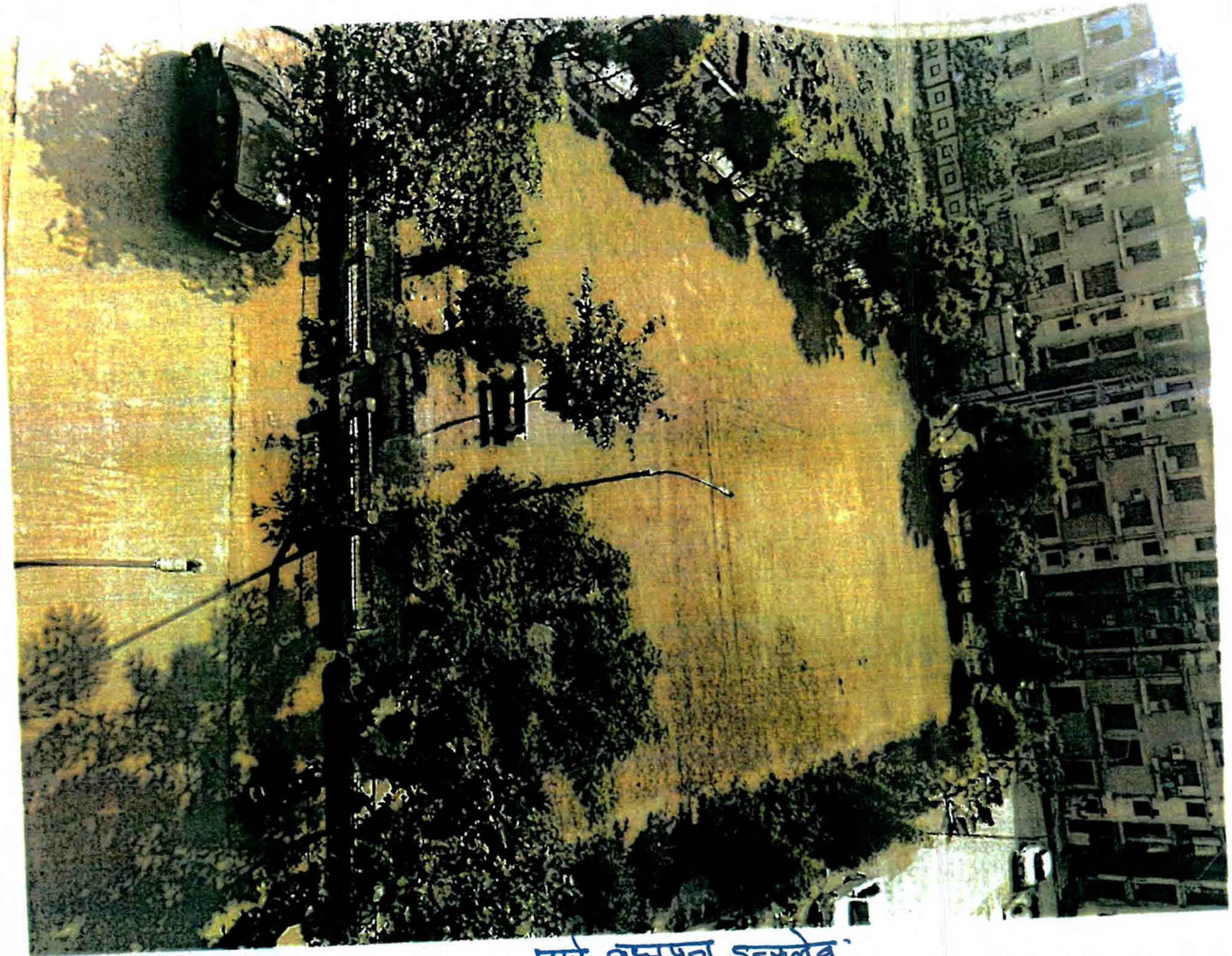

पार्क ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव

सेन्ट्रल वर्ज 50मी. सड़क

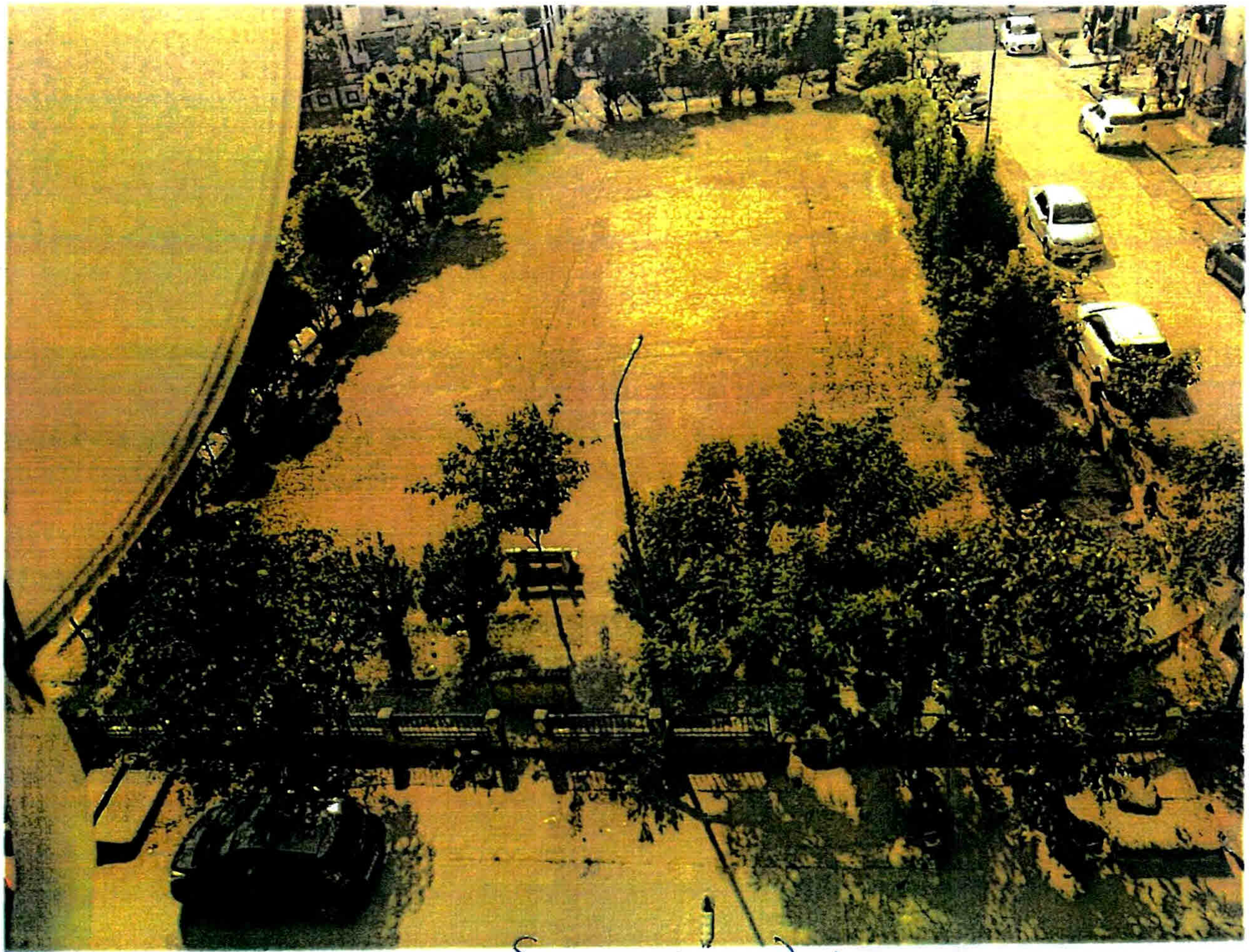

पार्क ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव

सेन्ट्रल वर्ज से.07

917

ग्रीन बैल्ट से-9

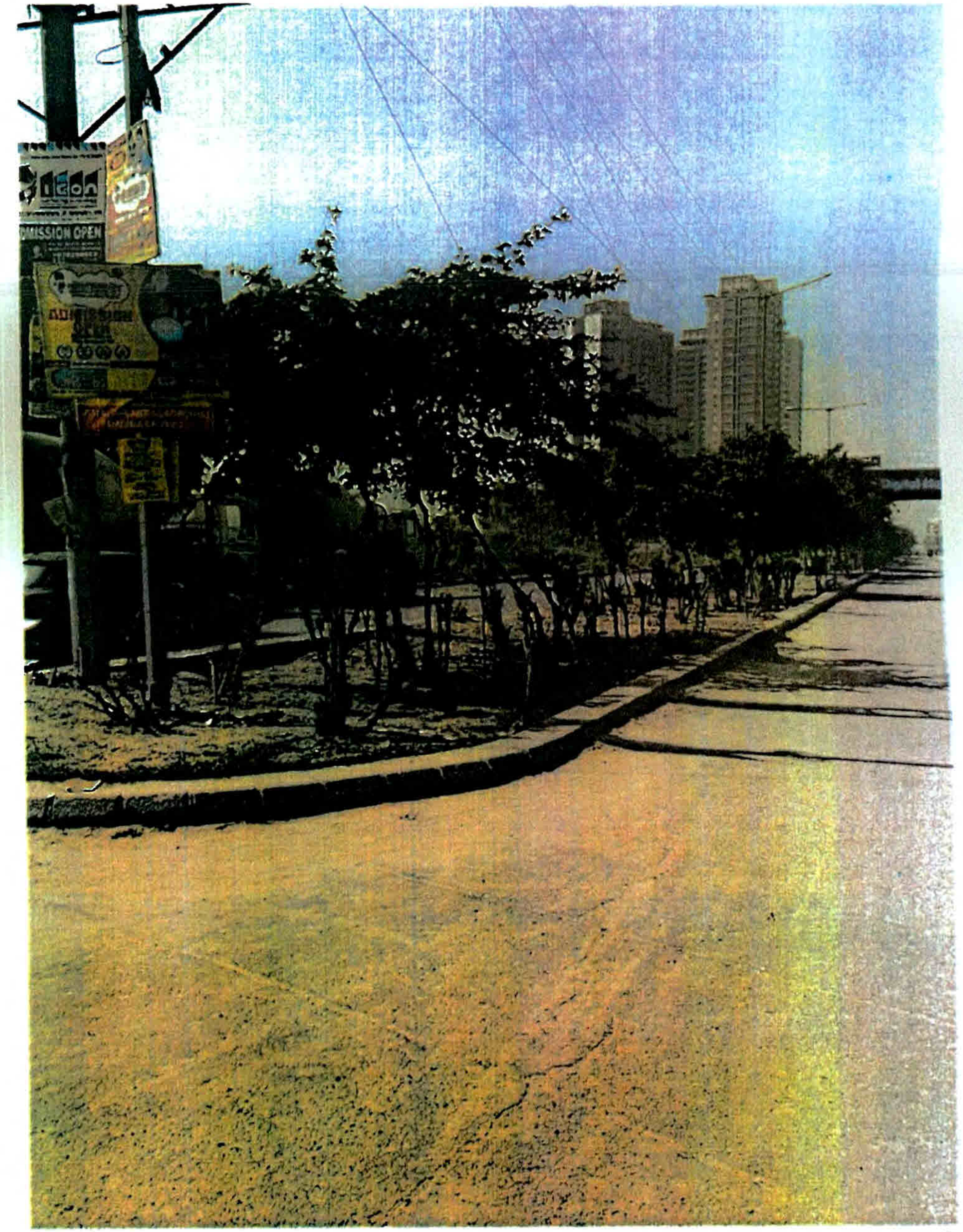

सेन्ट्रल वर्ज एस·एन·टी· चौक

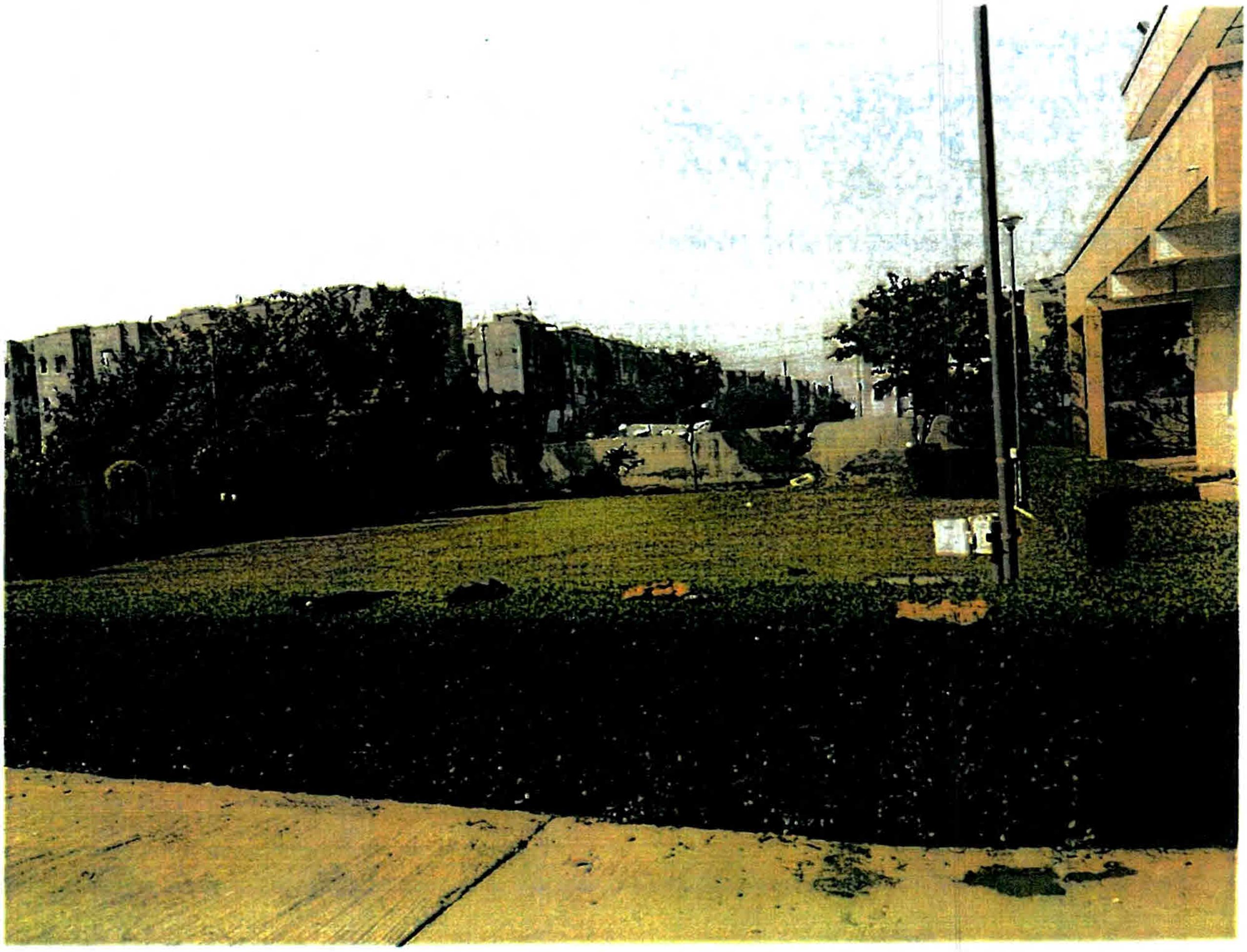

पार्क ग्रीन खीपा सामुदायिक केन्द्र सि.१.

सेक्टर 7 सिद्धार्थ विहार योजना

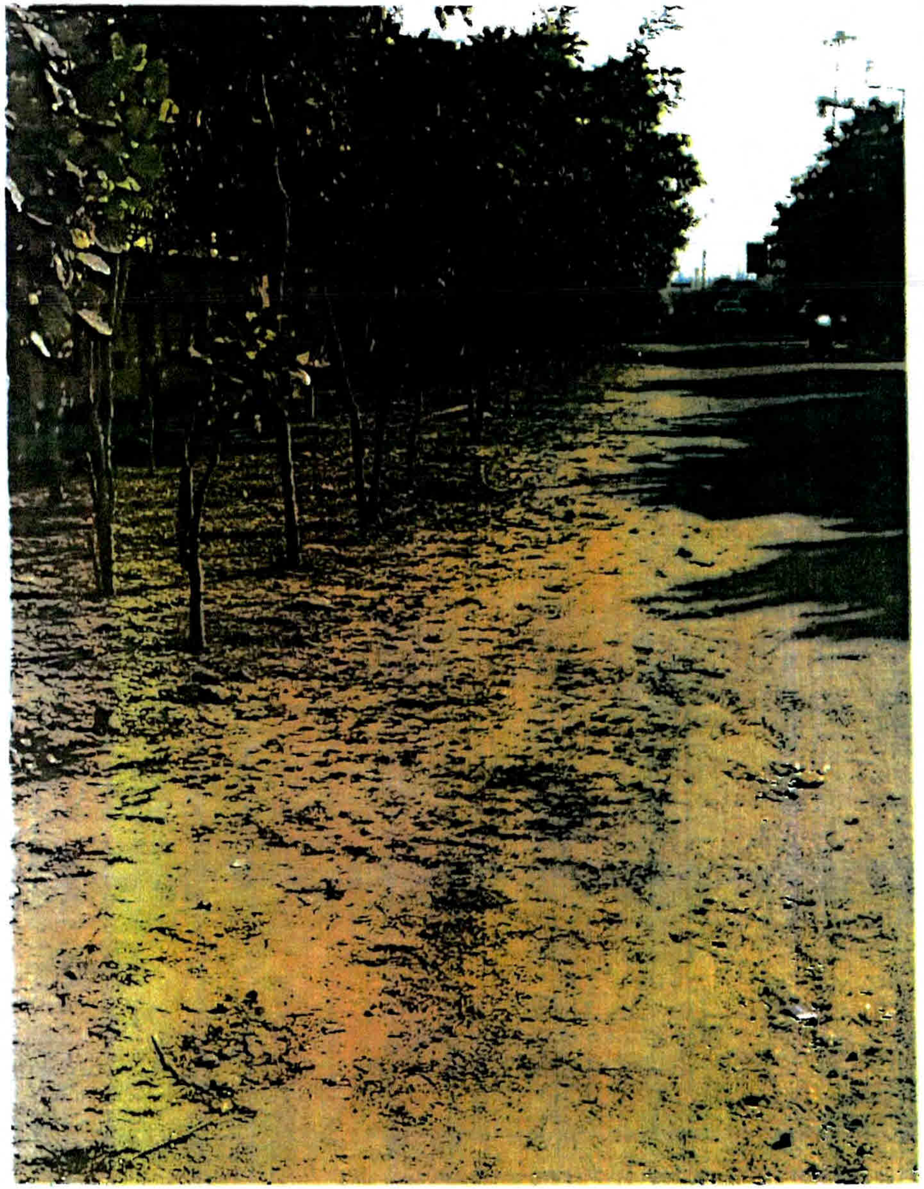

Green Area, inside of Brahamputra enclave, sec7, IV GZB

सेक्टर - ५. सिद्धार्थ विहार योजना

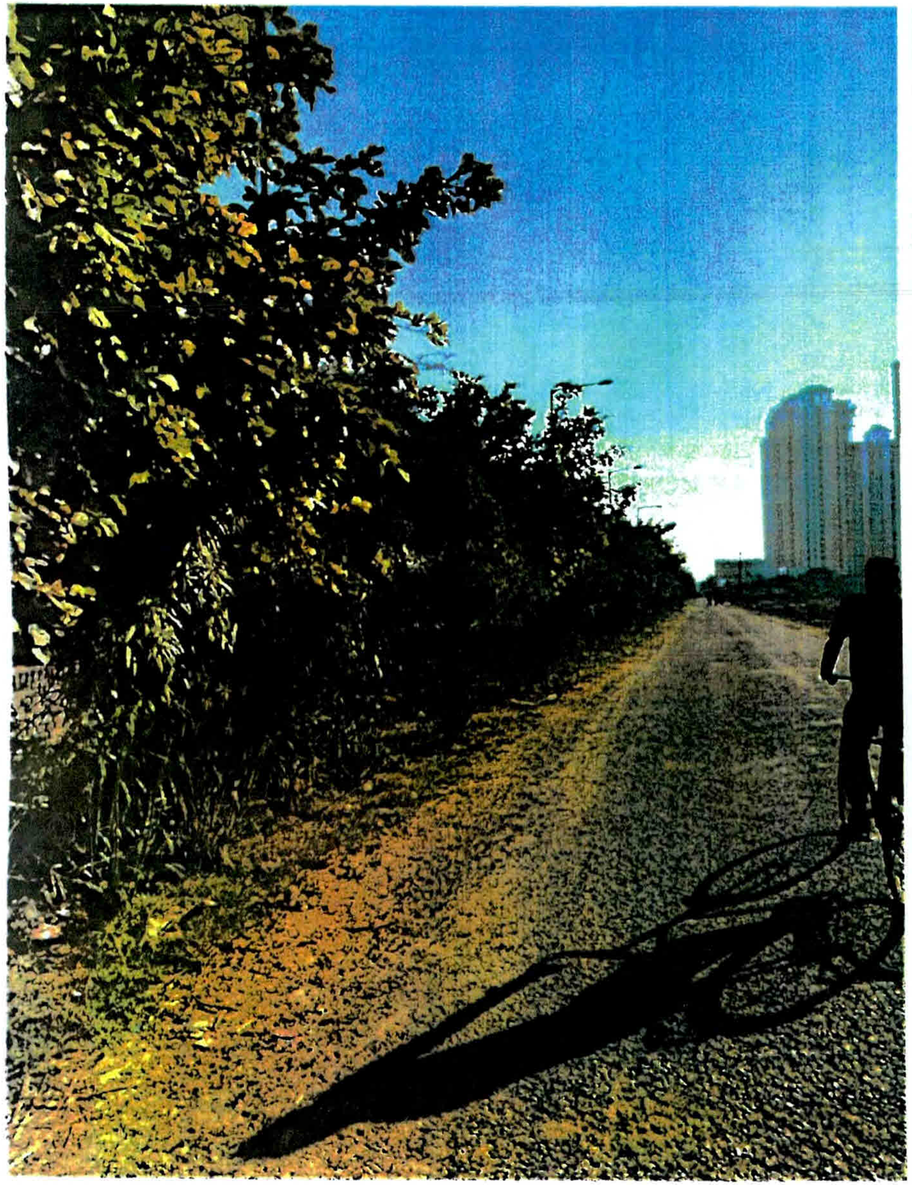

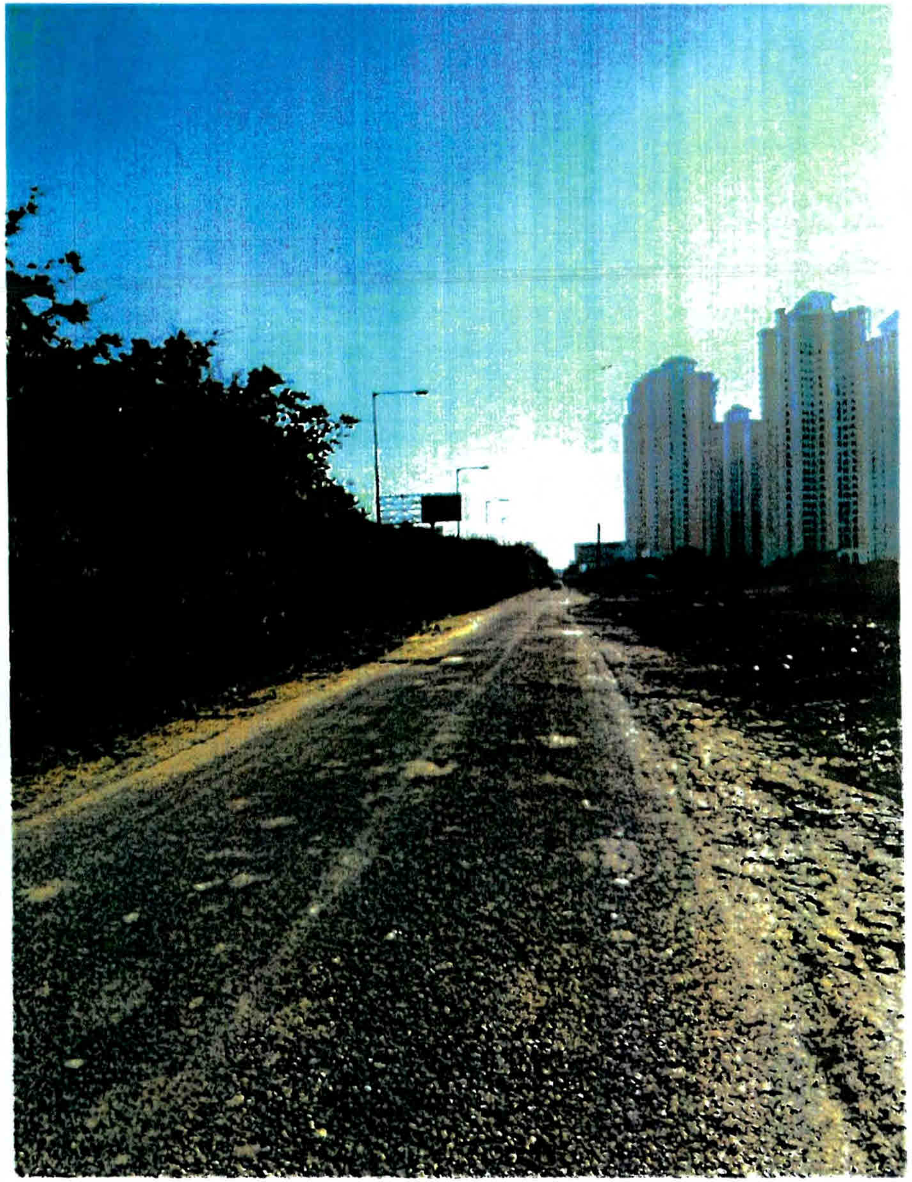

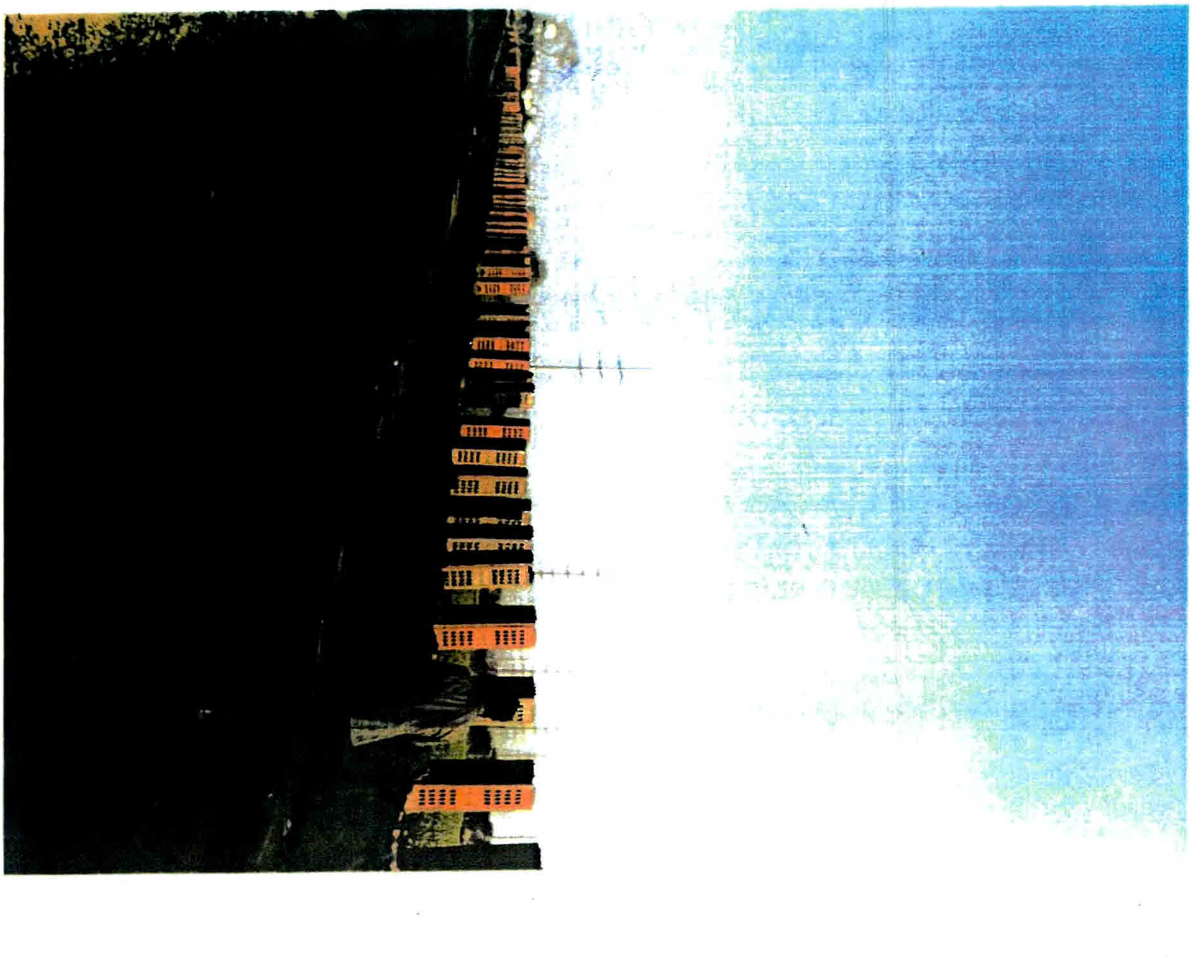

ANNEXURE-2

923

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजि० में S.T.P. का निर्माण कार्य।

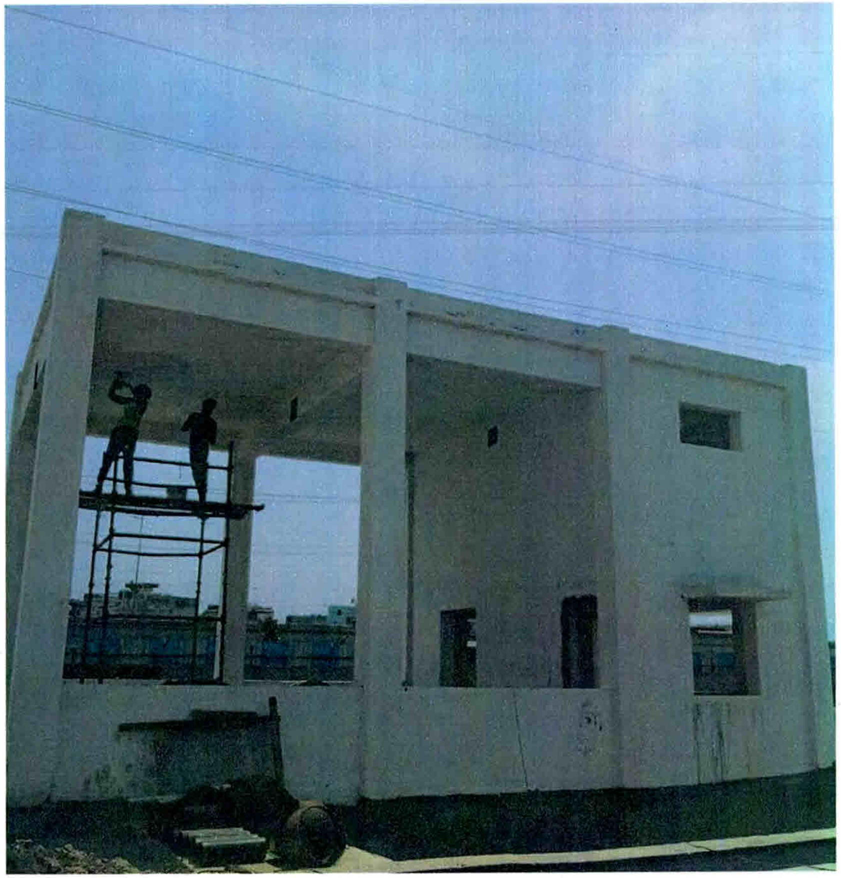

924

सिद्धार्थ विहार योजना गाजि० में S.T.P. का निर्माण कार्य।

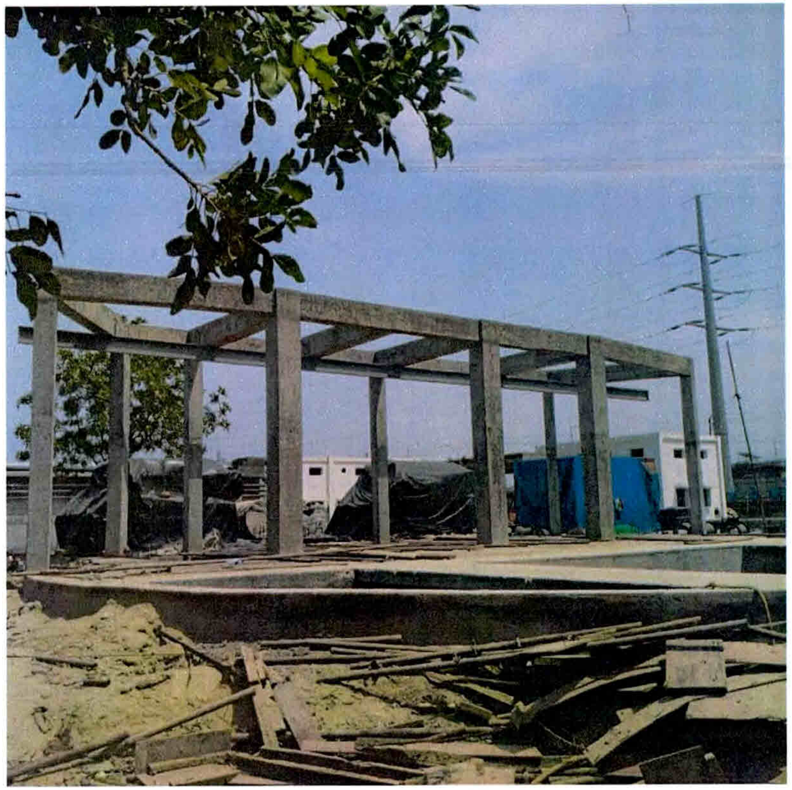

925

सिद्धार्थ विहार योजना गाजि० में S.T.P. का निर्माण कार्य

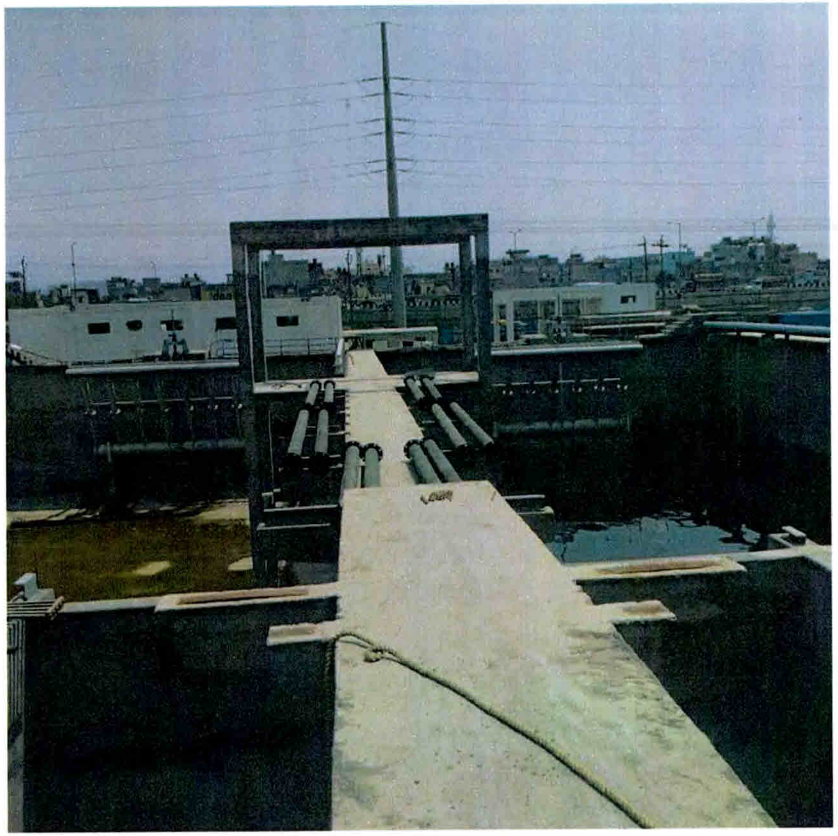

संलग्नक :- 2

926

Consh of 21.5 MLD STP at Siddhartha Vihar 42B

JE AE EE

ANNEXUR- 3

927

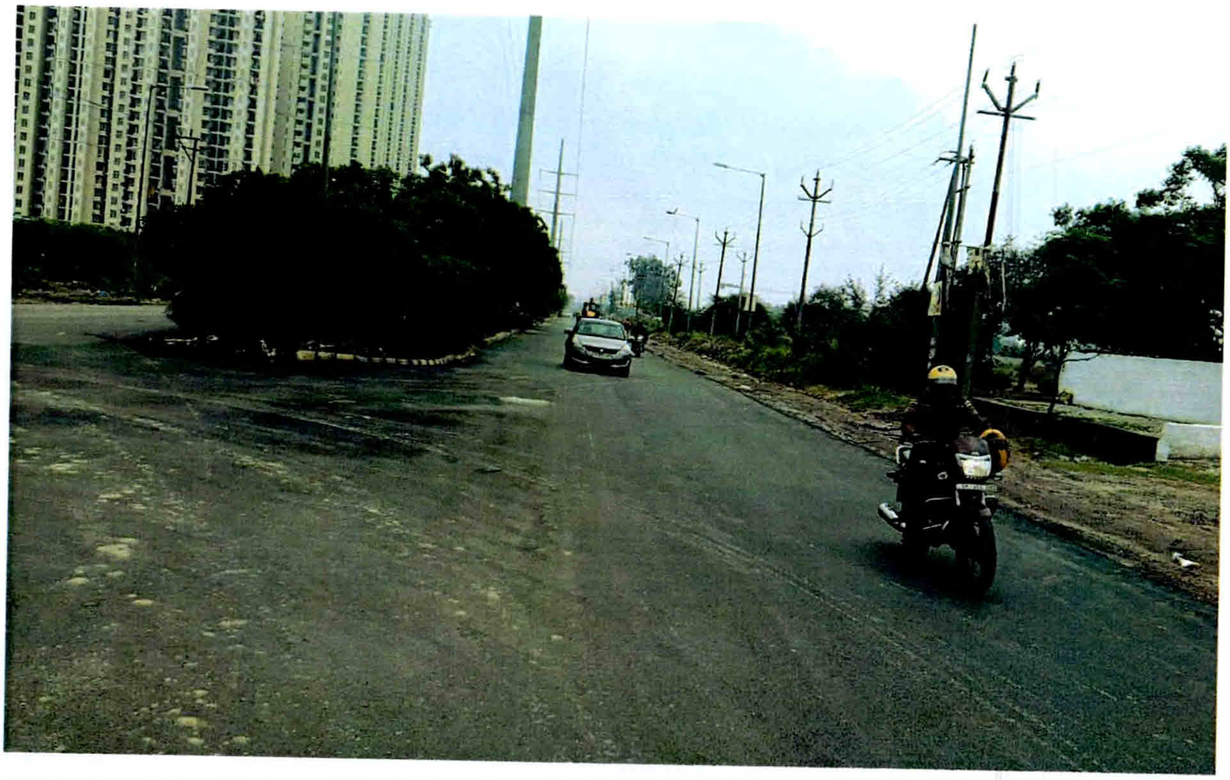

TWO BID

ID- 144561

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
CONSTRUCTION DIVISION GHAZIABAD-01
U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD
VASUNDHARA, SECTOR-16, VASUNDHARA, GHAZIABAD

928

CB NO.	04/SE/CIRCLE-GHAZIABAD/2022-23 DT.22 DT. 22/02/2023
NAME OF CONTRACTOR	M/S SHREEJI INFRAPROJECTS PVT. LTD. 14/1-B, RAJNAGAR, GHAZIABAD
NAME OF WORK	STRENGTHENING/RENNOVATION OF 50.00 MTR WIDE ROAD (PART) AT SIDDARTHA VIHAR YOJANA, GZB
DATE OF START	22/02/2023
DATE OF COMPLETION	21/05/2023 (Three Month)
AMOUNT OF C.B.	₹ 1,31,90,570.54
EARNEST MONEY [2%]	₹ 3,10,000.00 [RTGS DT. 26-12-2022]
PERFORMANCE GUARANTEE [14.50% BELOW = 9.50% PG]	₹ 12,53,200.00 [FDR-055301 DT. 06/02/2 A/C- 1400055339880/18, CANARA BANK]
SECURITY MONEY [8%]	₹ 10,10,000.00 [FDR-055506 DT. 13/02/2 A/C- 1400055339880/26, CANARA BANK]

CONTRACTOR — ASSISTANT ENGG. — EXECUTIVE ENGG.

Contr. A.E.

929

SCHEDULE 'H'

FROM :

The Superintending Engineer,
Circle – GHAZIABAD
U.P. Avas Evam Vikas Parishad,
Vasundhara Complex, Vasundhara, Ghaziabad.

Letter No. /A-10/16 Dated :- 22-02-20

M/S SHREEJI INFRAPROJECTS PVT LTD.
R-14/1-B, RAJNAGAR, GHAZIABAD.

Subject:- Registration of your bond for Constuction of "STRENGTHENING OF 50.00 Mtr wide road (Part) at Siddhartha Vihar Yojana, Ghaziabad"

Dear Sir,

Your contract bond referred above has been registered vide contact bond No. 04/S.E./CIRCLE-GHAZIABAD/2022-23 Dated 21/02/2023....

You may please start the work immediately and complete it within ......03.... months. The dates of start and completion will be ..22/02/2023. and .21/05/2023.. respectively.

OR

From the tentative P.W.A. it is noticed that the work was started .... the time for completion of this work is specified to .... months the dates of start and completion will .... and .... respectively.

Received original letter

(Contractor)

Your faithfully

Superintending Engineer

Letter No - 827/ Cir. / DT as above -

Copy forwarded to Executive Engineer, Construction Division GZB-I, U.P.A.V.P. Vasundhara, Ghaziabad for information and necessary action.

Superintending Engineer

Contr... A.E. ....Ex. Engr......S.E.-I

IS15700:2018

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-01
ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
☎ 0120-4133278, ✉ cd1ghaziabad@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्र सं0- /EM4-24/07 दिनांक-

930

सेवा में,

M/S Nextgen Inforworld Pvt, Ltd,
K-79A, 3rd Floor, Kalkaji, New Delhi.

विषयः–सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में बायोरेमेडिएशन पद्धति से सीवरेज के ट्रीटमेन्ट कार्य हेतु ई–निविदा दिनांक 22.03.2023 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत कार्य हेतु, इस कार्यालय के निविदा सूचना संख्या–464/PRO-50/15 दिनांक 14.03.2023 के क्रम में आप द्वारा, सिंगल–बिड सिस्टम के अन्तर्गत प्रस्तुत ई–निविदा में अंकित निविदा की दरों पर अधीक्षण अभियन्ता–गाजियाबाद के पत्र संख्या–1474/ई0एन0जी0–4/54 दिनांक 06.04.2023 के क्रम में, अपने पत्र दिनांक 22.03.2023 द्वारा बी0ओ0क्यू0 की दर से 2.00% कम(Below) पर कार्य करने की सहमति के आधार पर निविदा प्रपत्र में निहित बी0ओ0क्यू0 में अंकित कुल लागत में 2.00% कम करने के उपरान्त रू0 7,05,600.00 मात्र (रूपये सात लाख पाँच हजार छः सौ एवं पैसा शून्य मात्र) आती है, जिसमें जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय है, की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0)/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, अभियन्त्रण अनुभाग के पत्र संख्या–751/टी0क्यू0/09/2021–22 दिनांक 02.03.2023 द्वारा कतिपय नियमों/शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया पत्र निर्गमन की तिथि से सात कार्यदिवस के अन्दर निम्नलिखित प्रपत्रों सहित खण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें, अन्यथा निविदा की शर्तों के अन्तर्गत नियमानुसार निविदा स्वीकृति को निरस्त एवं धरोहर धनराशि जब्त करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

1. उपरोक्त अनुमोदित दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर आयकर, लेबर सेस, रॉयल्टी एवं ऐसे समस्त कर, जो उ0प्र0 शासन/केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये जायेगें, सम्मिलित हैं। स्वीकृत दरों पर ठेकेदार के पक्ष में गठित अनुबन्ध के विरूद्ध देय बीजक से उक्त समस्त करों की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
2. ठेकेदार को वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर निविदा सूचना के क्रमांक–7 के अनुसार जी0एस0टी0 के भुगतान की कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नियमानुसार की जायेगी।
3. फर्म की मालिकाना स्थिति को स्पष्ट करते हुए यदि यह साझेदारी फर्म है तो साझेदारी डीड व पावर ऑफ एटॉर्नी की प्रमाणित प्रति जमा करायें।
4. स्वीकृत निविदा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर जमानत धनराशि रू0 70,560.00 मात्र में से आप द्वारा निविदा के साथ आर0टी0जी0एस0/एफ0डी0आर0 के माध्यम से जमा धरोहर धनराशि रू0 15,000.00 को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 55,560.00 मात्र की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/टी0डी0आर0 अथवा एन0एस0सी0 जो कि "अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–01 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद/EX.ENGG. CD-GZB-01, UPAVP" के नाम बन्धक हो अथवा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से खण्ड के खाते (बैंक का नाम **Indian Overseas Bank, Vasundhara Branch, Ghaziabad** खाता संख्या–**236601000005555,** आई0एफ0एस0सी0 कोड– **IOBA0002366**) में जमा करानी होगी।
5. फर्म का पैन नम्बर (आयकर सम्बंधी), जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या, श्रम विभाग के पंजीकरण व लेबर सेस में पंजीकरण प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करायें।
6. अनुबन्ध के गठन हेतु रू0 100.00 मूल्य का नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित, रू0 10.00 मूल्य के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका में शासन के पक्ष में निर्णय पारित किये जाने पर आप द्वारा ठेका अनुबन्ध पर अवशेष देय स्टाम्प ड्यूटी विभाग के लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी, प्रस्तुत करना आवश्यक है।
7. अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त भी यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बंधित फर्म/निविदादाता सकिय रूप से माफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यों में एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
8. निविदा प्रपत्र में निहित नियमों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परिषद के उच्च अधिकारियों एवं अन्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समय–समय पर कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा, जिसमें इंगित कमियों को ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने व्यय पर ठीक कराना होगा।
9. जिलाधिकारी(म0), गाजियाबाद के पंत्राक 7364–7403/गा0भ0नि0/2014 **दिनांक 07.07.2014** के अनुपालन में उक्त कार्य के प्रारम्भ होने के 30 दिनों के अन्दर आप द्वारा आवश्यक रूप से श्रम विभाग, गाजियाबाद में निर्माण स्थल/कार्य का पंजीयन एवं श्रमिकों का पंजीयन नियमानुसार करा कर इस कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में बिलों का भुगतान किया जाना सम्भव नही होगा।

क्रमशः............2

931

10. शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर जी0एस0टी0 आदि के सम्बन्ध में जो आदेश/दिशा निर्देश निर्गत किये जायेगें, वे फर्म/ठेकेदार को मान्य होगें।
11. ई–निविदा में अपलोडिड विभिन्न प्रपत्रों की मूलप्रतियॉ अनुबन्ध गठन हेतु खण्ड कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।
12. कार्य मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा तथा सामग्री की आपूर्ति अंकित ब्रान्ड एवं सुसंगत आई0एस0आई0 कोड में दी गयी विशिष्टियों के अनुरूप वांछित गुणवत्ता की जॉच के पश्चात् ही ली जायेगी।
13. दिनांक 01.10.2018 से जी0एस0टी0 के अन्तर्गत टी0डी0एस0 की व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप टी0डी0एस0 सर्टिफिकेट जी0एस0टी0आर0–7ए पर धनराशि क्रेडिट रिटर्न दाखिल करने के 05 दिनों के अन्दर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार द्वारा जी0एस0टी0 पोर्टल पर धनराशि की पुष्टि/स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही टी0डी0एस0 सर्टिफिकेट जी0एस0टी0आर0–7ए निर्गत किया जाना सम्भव होगा। अतः जी0एस0टी0 पोर्टल पर जमा की गयी धनराशि की निर्धारित अवधि में पुष्टि/स्वीकृति आपके द्वारा किया जाना है, अन्यथा की स्थिति में सर्टिफिकेट न मिलने पर ब्याज/विलम्ब शुल्क की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
14. आपके द्वारा ई–निविदा में संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों की सम्बन्धित विभागों से सत्यापन में विपरीत आख्या प्राप्त होने की दशा में स्वीकृति पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
15. कार्य निविदा/प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार कराया जायेगा।
16. निविदा सूचना की अन्य शर्ते नियमानुसार लागू होगी।
17. शासन/जिला प्रशासन/परिषद द्वारा निर्धारित कोविड–19 गाईड लाइन्स का अनुपालन निर्माण स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।

भवदीय

(अमन त्यागी)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0: 638 / उक्त/ दिनांक: 06/05/2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधीक्षण अभियन्ता–गाजियाबाद, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद को उनके पत्र संख्या–1474/ई0एन0जी0–4/54 दिनांक 06.04.2023 के सन्दर्भ में।
2. सहायक अभियन्ता/श्री रामकृष्ण गुप्ता, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मानचित्र की प्रति, जिस पर कराये जाना वाला कार्य दर्शाया गया हो तथा बार चार्ट की प्रति अनुबन्ध गठन हेतु कार्यालय में शीघ्र जमा करने का कष्ट करें। साथ ही स्वीकृति पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्य कराने से पूर्व एवं कार्य कराने के बाद के स्थल के फोटोग्राफ निश्चित रूप से कराकर खण्ड के अभिलेखों में सुरक्षित रखवायें एवं स्वीकृत निविदा में दर्शायी गयी अन्य समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।
3. लेखाकार, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद को अनुबन्ध गठन हेतु प्रेषित।
4. अनुबन्ध पत्रावली हेतु।

अधिशासी अभियन्ता